प्रार्थीगण के पिता [illegible]
होने, विप्रार्थी संख्या 1 के [illegible]
नाजायज फायदा उठाकर अपने [illegible]
बैचान करने पर आमादा है, और [illegible]
सफल हो गये तो न केवल प्रार्थी के दावे का [illegible]
होगा अपितु प्रार्थी को भारी क्षति होगी। अतः प्रार्थी के [illegible]
विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश [illegible]
किया जावे,कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके
की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि की प्रथम जमाबंदी वादग्रस्त में प्रार्थी के दादा जेठाराम के नाम दर्ज हो रखी है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पुत्र–पुत्रियो का हक हकूक नियत होता है। ऐसी सूरत में यदि विवादित भूमि का बैचान इत्यादि पारित हो जाता है,तो प्रथम द्रष्यता प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना रहती है तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है एंव वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 14.11.2024 तक जरिये एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है, कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खेत खसरा नम्बर 261/7 रकबा 0.6877 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300/7 रकबा 3.3428 हैक्टेयर भूमि के संबध में किसी प्रकार का बैचान इत्यादि नही कर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 14.11.2024 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

मांगीलाल

25.10.2024 पत्रावली मूल वाद के सलंग्न पेश हुई
चूंकि मूल वाद जरिये स्वीकार्यता [illegible] हो
चुका है लिहाजा प्रथम आवेदन [illegible] अब कोई
औचित्य प्रतीत नहीं होता है
अतः मूल वाद की तर्ज पर आवेदन [illegible] स्तर
पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली नियम अनुसार बाद तामील दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी